

- Regd -
FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014

850

Dated: 23-06-2016

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3-73-86 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Assistant Engineer I&PH, Kotgarh District Shimla for Construction of LWSS Matiana Sainj and Kumarsain (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Rampur in Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3-73-86 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to LP annexure _____.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above




(Rohan Chand Thakur)
District Collector
Shimla District (H.P.)
(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 9-06-2016 at 3.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Duttanagar, Kumarsain, Thanadhar, Narkanda, Karewathi, Deeb, Janjjheli forest area(s) 3-73-86 hect. under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	
		OR	

As informed by SDO (Civil) Rampur, no application was received from Gram Sabha claiming right in 3-73-86 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 9-06-2016


Deputy Commissioner-Cum- Chairman

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 09-06-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

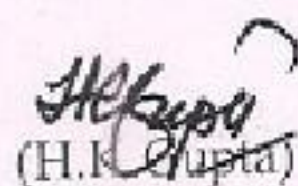
The following members of the District Level Forest Right Committee were present.

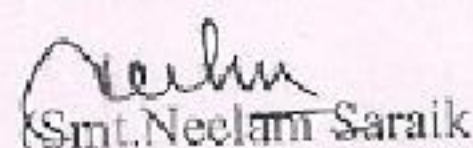
1. Shri G.C.Negi, Addl. District Magistrate, Shimla	Member Secy
2. Sh. H.K.Gupta, Divisional Forest Officer, Kotgarh	Member
3. Sh. Amit Sharma, DFO Shimla	Member
4. Sh. Ashok Negi, DFO Rampur	Member
5. Sh. Shakti Awasthi, ACF Theog	Member
6. Sh. Chaman Lal, DFO, Rohru	Member
7. Smt. Neelam Saraik, Member Zila Parishad	Member
8. Shri. R.K. Sharma, C/o ARO Chopal	Member

At the very outset the Addl. District Magistrate (P) welcomed all the members of the committee and a total 29 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

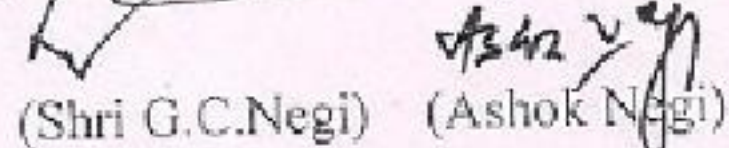
Out of total 29 cases 11 cases were split up to be processed Under Section 3.2 of Forest Rights Act, 2006 and it was decided to send back the papers to the user agency to process under FRA. Remaning 17 cases was placed before the committee and approved to be processed under FCA. Only one case i.e. construction of High School building at Shakrah was decided to take up with SDM Shimla-Rural for correctness of area involved. The next meeting will be held on 8th July, 2016 at 4. P. M.

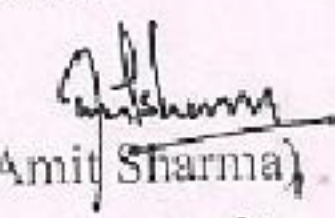
The meeting ended with vote of thanks.

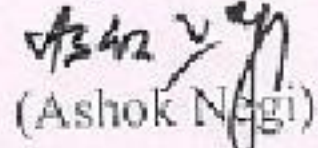

(H.K. Gupta)

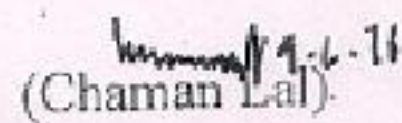

(Smt. Neelam Saraik)


(R.K. Sharma)

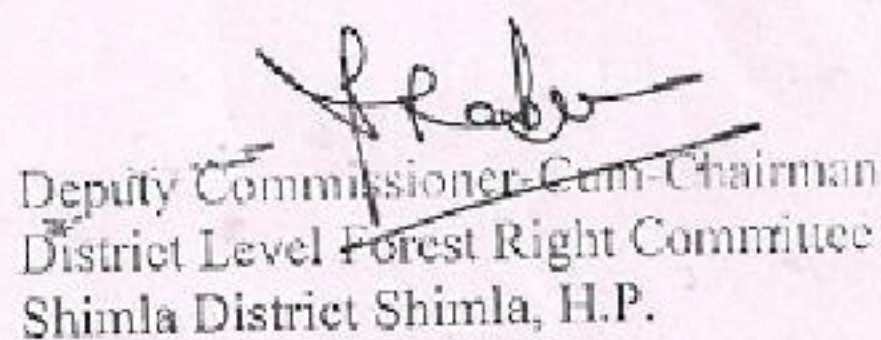

(Shri G.C. Negi)


(Amit Sharma)


(Ashok Negi)


(Chaman Lal)


(Shakti Awasthi)


Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

**OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER®, RAMPUR BUSHAHR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the Sub- Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Rights) Act,2006.

A meeting of the Sub Division Level Committee of Rampur Sub- Division constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship of Mr. Dalip Negi, HAS, Sub Divisional Officer(C), Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P. on 23.04.2016 at 11:00 A.M. at Rampur in which the applicants(S) claiming rights in area measuring 3-73-86 hect. bearing Kita 36 for the construction of water supply scheme Matiana Sainj and Kumarsain, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla under FRA,2006 duly processed and recommended by the Gram Panchyat, Duttanagar, Kumarsain, Thanedhar, KNarkanda, Karewathi, Deeb, Janjjheli were discussed to consider the same for recommendation of the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and details discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission of Distt. Level Committee.

Sr. No.	Name of Applicants	Name of Forest	Detail of Forest Right
---------	--------------------	----------------	------------------------

.....

Claim of following applicants were not found in order and hence reject.

Sr. No.	Name of Applicants	Name of Forest	Detail of Forest Right
---------	--------------------	----------------	------------------------

.....

As informed by Asstt. Engineer, I&PH, Kotgarh, no application were received claiming right in Kotgarh.

Place: Rampur Bushahr
Dated:


 SDO(civil)-cum-Chairman,
 Sub Division Level Committee
 Rampur Bushahr.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा..... जंजैहली पंचायत
विकास खण्ड..... नारकण्डा जिला..... शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 23/8/16

गणपति 7/7

प्रस्ताव संख्या 3

विषय: सिंचाई एवं वन स्कार्प के निर्माण हेतु विभाग/संस्था को स्टोर टैंक
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-02-56 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा जंजैहली की बैठक आज दिनांक
को वजे, स्थान में
की गई जिसमें सिंचाई एवं वन स्का0 विभाग/संस्था को स्टोर टैंक
के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0-02-56 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संश्लिष्ट वन भूमि में प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमे दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-02-56 हैक्टयर वन भूमि को स्टोर टैंक निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा जंजैहली की सहमति दी जाती है।

स्थान..... जंजैहली
दिनांक 23/8/2016



अधीकृत अधिकारी
ग्राम सभा सचिव

ग्राम पंचायत जंजैहली

विन्डो नारकण्डा शिमला, हि0प्र0

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा - चमोला
प्रतिनिधि प्रस्ताव
J. F. M. C.
Chamola

प्रस्ताव संख्या 105

दिनांक 17/01/2016

ग्राम सभा चमोला / नुर्जली की बैठक आज दिनांक 17/01/2016 को 11 बजे बजे स्थान चमोला में श्री/श्रीमती दीनारायण वर्मा की अध्यक्षता में की गई जिसमें चमोला, नुर्जली, डूंग्रा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वैरहू DP जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें I.P.H. विभाग द्वारा रैलवे ट्रैक के निर्माण के लिए हैबिटेटर भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सकारित के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का आधार
1.	<u>रमेश ठाकुर - नुर्जली</u>	<u>आहरे बेट</u>	<u>तमाम आहरे बेट</u>
2.	<u>निरमल मन्द काली - आहरे</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित बाधों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया

नोट :- ग्राम सभा की वन अधिकार समिति ने यह निर्णय/कम है कि

1. अह टैंक देरहू माला के मन्दिर जगल बाल राहले पर बनाया जाए
2. जगल मन्थाली की राहले के क्षेत्र का धानी इयलबध

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है। हाँ, जगल देरहू के मन्थाल मन्थाल है।
या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार President जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ Joint Forest Management Committee

स्थान 17/01/2016
दिनांक चमोला

Chamola
अधीनस्थ हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

* शेजवाट कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 12/01/2016

वन अधिकार समिति ग्राम सभा ओडी की बैठक आज दिनांक 12/01/2016 को 1:00 बजे स्थान ओडी में श्री/श्रीमति सुनील कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें हवन आर गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत हवन जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें आई.पी.एन विभाग द्वारा हवन के निर्माण के लिए 02-56 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौसा

1. Nil Nil

2. तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. Nil

2. तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

हवन जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान Oddi (ओडी)

दिनांक 13-01-2016

Sumit Kumar
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा ओडी

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....डीव
विकास खण्ड.....नारकण्डा जिला.....शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....10/02/16

गणपूर्ति.....195 / 525

प्रस्ताव संख्या.....4

विषय: सिन्धौरी रिंग जंगल विभाग/संस्था को हैक्टर
के निर्माण हेतु 0-02-56 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....डीव की बैठक आज दिनांक.....
को सिन्धौरी रिंग जंगल स्थान..... में
की गई, जिसमें हैक्टर विभाग/संस्था को हैक्टर
के निर्माण हेतु 0-02-56 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-02-56 हैक्टयर वन भूमि को हैक्टर निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा डीव की सहमति दी जाती है।

स्थान.....डीव
दिनांक.....10/02/2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....डीव

प्रस्ताव संख्या.....4

दिनांक.....10/02/16



प्रधान

ग्राम पंचायत डीव
वि०ख० नारकण्डा शिमला, हि०

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 12/01/2016

ग्राम सभा ओडी की बैठक आज दिनांक 12/01/2016 को 11:00 बजे
 बजे, स्थान ओडी में श्री/श्रीमते सुनील कुमार की अध्यक्षता में
 की गई जिसमें 470 आहार गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत हावन जंगल/वन
 क्षेत्र में (जिसमें हावन विभाग द्वारा ** हावन के निर्माण के लिए 0-02-56
 भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
 दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	<u>Nile</u>	<u>Nile</u>	
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
 उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार हावन जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
 अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान ओडी
 दिनांक 13/01/2016

Sunil Kumar
 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा ओडी

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ७

दिनांक 2/10/15

ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक 2/10/15 को 11 बजे स्थान ग्राम पंचायत रिहल में श्री जति रिहल जी की अध्यक्षता में की गई जिसमें 232/569 गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत के जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें पंचायती राज विभाग द्वारा कि.प्र. 36 द.अ.प. 3-73-86 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
----------	------------------------	-------------	---------------------

1

तदनुसार यह ग्राम सभा इन दावों को पारित करने हेतु इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा सही नहीं पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
----------	------------------------	-------------	---------------------

1

NIL

NIL

NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार शून्य जंगल वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक



अधिकृत हस्ताक्षरकीर्तिल नारकण्डा
ग्राम सभा नारकण्डा, शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायत

के ग्राम वासियों ने इन वन क्षेत्रों / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

ग्रामवासी / ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

निर्माण जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती

है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा

विकास खण्ड नारकण्डा जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 24/6/15

गणपति 232/569

प्रस्ताव संख्या 7

विषय:-

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक 24/6/15 को 11 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहल में श्री जति रिंकु की

जी की अध्यक्षता में की गई जिसमें पंचायती विभाग को

जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान पर चर्चा की गई।
फिर 3624/3-73-86

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिये वन भूमि दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा प्रस्तावित 3-73-86 हेक्टेयर वन भूमि को गौ-सदन निर्माण हेतु उपयोग के लिये ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान

दिनांक



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत सिंहल नारकण्डा

जिला नारकण्डा, शिमला, हि०प्र०

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा कोयलू
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

वन अधिकार समिति ग्राम सभा कोयलू के बैठक आज दिनांक _____ को बजे स्थान _____ में श्री दिवान के कुल अध्यक्षता में की गई जिसमें कोयलू गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोयलू के जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें पचायती राज विभाग द्वारा हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
----------	------------------------	-------------	---------------------

1

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा सही नहीं पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
----------	------------------------	-------------	---------------------

1

NIL

NIL

NIL

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

कोयलू जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

कोयलू

सचिव

वन अधिकार समिति

ग्राम कोयलू

ग्रामवासी / ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा फिरनू
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

वन अधिकार समिति ग्राम सभा फिरनू की बैठक आज दिनांक को बजे स्थान में श्री साधन की अध्यक्षता में की गई जिसमें फिरनू गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत फिरनू के जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें पंचायती राज विभाग द्वारा 36 (क) 2-73-86 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्योरा
----------	------------------------	-------------	---------------------

1

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा सही नहीं पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्योरा
----------	------------------------	-------------	---------------------

1

NIL

NIL

NIL

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

फिरनू जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

फिरनू

सचिव

वन अधिकार समिति

ग्राम फिरनू

ग्रामवासी / ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक को बजे स्थान ग्राम पंचायत में श्री जी की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत के जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें पंचायती राज विभाग द्वारा ~~क्रमांक 26-3-73-66~~ हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
----------	------------------------	-------------	---------------------

1

तदनुसार यह ग्राम सभा इन दावों को पारित करने हेतु इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा सही नहीं पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
----------	------------------------	-------------	---------------------

1

Nil

NIL

NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार शून्य जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत सिंहल नारकण्डा
वि०ख० नारकण्डा, शिमला, हि०प्र०

सचिव

ग्राम पंचायत

के ग्राम वासियों ने इन वन क्षेत्रों / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

ग्रामवासी / ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

निर्माण जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती

है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा

विकास खण्ड नारकण्डा जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 21/01/2015

गणपूर्ति 232/569

प्रस्ताव संख्या 7

विषय:-

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

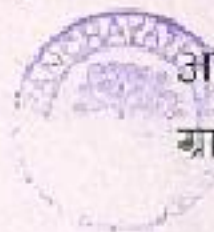
ग्राम सभा सिंहल की बैठक आज दिनांक 21/01/2015 को 11 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहल में श्री जीती सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में की गई जिसमें पंचायती विभाग को डिस्ट 38/3-73-56 जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिये वन भूमि दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा प्रस्तावित हेक्टेयर वन भूमि को गौ-सदन निर्माण हेतु उपयोग के लिये ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान

दिनांक



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सचिव

ग्राम सभा पंचायत सिंहल नारकण्डा पंचायत

वि०प्र० नारकण्डा, शिमला, हि०प्र०

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा शेलाज

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 107

दिनांक 19/1/2016

ग्राम सभा

वृत्त, स्थान शेलाज

की बैठक आज दिनांक 19/1/2016 को

मे श्री/श्रीमति

राधा कृष्ण की अध्यक्षता में

की गई जिसमें

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

क्षेत्र में (जिसमें 184 विभाग द्वारा शेलाज जंगल/वन

भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की

सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ

प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का

दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

1. NIL

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1. NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान

दिनांक

शेलाज
19/1/2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

राधा कृष्ण

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... करेवली पंचायत
 विकास खण्ड... भारकण्डा जिला... शिमला (हि0प्र0)
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 30-01-2016

गणपूर्ति... 7/1 /

प्रस्ताव संख्या... 3

विषय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग/संस्था को स्टोर टैंक
 के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-01-00 तथा 0-02-25 हेक्टेयर वन भूमि के
 उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।
0-03-25

ग्राम सभा... करेवली पंचायत की बैठक आज दिनांक 30-01-2016
 को वजे स्थान करेवली में
 की गई, जिसमें सि. ए. जे. जन स्वास्थ्य विभाग/संस्था को स्टोर टैंक 2 नं०
 के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-01-00 तथा 0-02-25 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव को लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-03-25 हेक्टेयर वन भूमि को स्टोर टैंक निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा करेवली की सहमति दी जाती है।

स्थान... करेवली
 दिनांक...

[Signature]
 अकालत हस्ताक्षरित
 ग्राम सभा विकास खण्ड भारकण्डा जिला शिमला (हि0प्र0)



Shanta

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
 वन अधिकार समिति
 ग्राम सभा
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

✓ 102

दिनांक 19/01/2016

वन अधिकार समिति ग्राम सभा करवधी (खिछड) को बैठक आज दिनांक 19/01/2016
 को 11.00 बजे स्थान करवधी में श्री/अभिनेता जोगेंद्र चन्द
 की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति
 और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत डीएल
डीएल जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 1PH विभाग द्वारा सरटी (खिछड) व डीएल
 निर्माण के लिए 3-25 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
 हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
 दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
 का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकारों का ब्योरा
1	<u>ML</u>	<u>सरटी (खिछड)</u>	<u>(0-01-00) सरटी (जंगल खिछड)</u>
2	<u>PH</u>	<u>395095 (-1-00-00-25)</u>	<u>395095 अर्थात् (-1-00-00-25)</u>

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को धारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
 सिफारिश करती है।
 रकबा कुल 0-03-25 हेक्टेयर

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	ग्राम	सभा	रकबा	दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
1					
2					

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान करवधी
 दिनांक 19/01/2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा करवधी (खिछड)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 102

दिनांक 19/01/2016

ग्राम सभा करवथी (खिहड़) की बैठक आज दिनांक 19/01/2016 को 11:00 बजे स्थान करवथी में श्री/श्रीमति जगदीश चन्द की अध्यक्षता में की गई जिसमें देव जुहड़ व सुरही गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 18.11 विभाग द्वारा सुरही के देव जुहड़ व सुरही के निर्माण के लिए 0-02-25 हेक्टेयर जंगल/वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का धौरा
1.	<u>खिहड़</u>	<u>सुरही (जंगल क्षेत्र)</u>	<u>(0-01-00) Hect सुरही (खिहड़)</u>
2.	<u>खिहड़</u>	<u>देव जुहड़ (-व-)</u>	<u>(0-02-25) Hect देव जुहड़ (-व-)</u>

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-
रकमा कुल (0-03-25) Hect

क्र.सं. * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन

स्थान करवथी
दिनांक 19/01/2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा करवथी (खिहड़)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा लौगा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 10-11-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा लौगा की बैठक आज दिनांक 10-11-2015 को 11:30 बजे स्थान लौगा में आयोजित होगी।

को अध्यक्षता में की गई जिसमें लौगा ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत लौगा 575/जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 14 PM विभाग द्वारा आवंटित भूमि के निर्माण के लिए 10-11-2015 ई. के उपकरण की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्नानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं. * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. लौगा
2. तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्नानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं. * पात्र गांव वासी का नाम

1. NIL
2. तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

लौगा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान लौगा
दिनांक 10-11-2015
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रधान
ग्राम सभा वन अधिकार समिति लौगा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा सरोगा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या १

दिनांक 12-12-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा सरोगा की बैठक आज दिनांक 12-12-2015

को 12.00 बजे, स्थान सरोगा में श्री/श्रीमति हमिपाल

की अध्यक्षता में की गई जिसमें सरोगा गांव के अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सरोगा

5.18/1 जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 1484 विभाग द्वारा चक्र पंचकल योजना के

निर्माण के लिए 0.04-0.05 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त

हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत

दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों

का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. NIL सरोगा NIL

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

सरोगा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान सरोगा

दिनांक 12-12-2015

सचिव

वन अधिकार समिति सरोगा

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रधान

ग्राम सभा की अधिकार समिति सरोगा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... थानेधार
प्रतिलिपि प्रस्तावप्रस्ताव संख्या... 03दिनांक... 29-01-2016

ग्राम सभा... थानेधार की बैठक आज दिनांक 29-01-2016 को
 बजे, स्थान... थानेधार में श्री/श्रीमति... अमर सिंह नलवा की अध्यक्षता में
 की गई जिसमें सरोगा, लौगा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सरोगा, लौगा जंगल/वन
 क्षेत्र में (जिसमें 14 PH विभाग द्वारा कुल 14 खण्ड सरोगा, लौगा जंगल/वन
 भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हूँ इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
 दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1.	<u>NIL</u>	<u>लौगा</u>	<u>NIL</u>
2.	<u>NIL</u>	<u>सरोगा</u>	<u>NIL</u>

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
 उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	<u>NIL</u>
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या
 इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सरोगा, लौगा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
 अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान... ग्राम पंचायत थानेधारदिनांक... 29-01-2016दिनांक... 29-01-2016

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा... ग्राम पंचायत थानेधारवि०ख० नारकण्डा, शिमला, हिमाचल प्रदेश

सचिव

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा थानेधार
विकास खण्ड नारकण्डा जिला हिमाली (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 29-01-2016

गणपूर्ति 7/7 /

प्रस्ताव संख्या 03

विषय 14PM विभाग/संस्था को अवकाश के निर्माण हेतु सरोवरा लेगा
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-09-71 हैक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा थानेधार की बैठक आज दिनांक 29-01-2016 को
बजे, स्थान थानेधार में
की गई, जिसमें 14PM विभाग/संस्था को अवकाश के निर्माण हेतु सरोवरा लेगा
0-09-71 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-09-71 हैक्टेयर वन भूमि को अवकाश के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा थानेधार की सहमति दी जाती है।

स्थान ग्राम पंचायत थानेधार
दिनांक 29-01-2016

हस्ताक्षर
दिनांक 29/1/16



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत थानेधार

विकास खण्ड नारकण्डा, जिला हिमाली, हि0प्र0

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा अधुन

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01दिनांक 30-01-2015वन अधिकार समिति ग्राम सभा अधुन की बैठक आज दिनांक 30-01-2015को 1130 बजे स्थान अधुन में श्री/श्रीमति शुभ चन्द चौधरीकी अध्यक्षता में की गई जिसमें अधुन गांव के अनुसूचित जनजातिऔर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अधुनजंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें विभाग द्वारा निर्माण के लिए हैकटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त

हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत

दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों

का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
------	--------------------------	-------------	---------------------

1.	<u>शुभ</u>		
2.			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0	* पात्र गांव वासी का नाम
------	--------------------------

1.	<u>शुभ</u>
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

अधुन जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।स्थान अधुनदिनांक 30-01-2015

सचिव
शुभ चन्द चौधरी
अध्यक्ष

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

शुभ चन्द चौधरी
अध्यक्ष

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मंगसू
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 7

दिनांक 2/10/15

ग्राम सभा मंगसू की बैठक आज दिनांक 2/10/15 को मंगसू
/ 11 बजे, स्थान मंगसू में श्री/श्रीमति रजनी सिधा की अध्यक्षता में
की गई जिसमें प्रधुवन गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रधुवन जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें 1487 विभाग द्वारा इस क्षेत्र में वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है के निर्माण के लिए 0.44-58 बटेयर
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	<u>NIL</u>	<u>प्रधुवन</u>	<u>NIL</u>
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	<u>NIL</u>
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधुवन जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान मंगसू
दिनांक 2/10/15



अधीक्षित हस्ताक्षरकर्ता वि० प्र०
ग्राम सभा ग्राम पंचायत वंगन

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम प्रधुवन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

हस्ताक्षर Rajni Sida

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिला निर्यात निर्यात अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा भंगसू
विकास खण्ड नारकण्डा जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 2/10/15

गणपूर्ति 120 / 452

प्रस्ताव संख्या 7

विषय: सि० ए० जन० स्वा० विभाग विभाग/संस्था को अऊ पेजल फेना कुमि सऊ
के निर्माण हेतु मधुवन
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-44-78 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा भंगसू को बैठक आज दिनांक

को सि० ए० जन० स्वा० विभाग बजे, स्थान भंगसू
जिसमें सि० ए० जन० स्वा० विभाग विभाग/संस्था को अऊ पेजल फेना कुमि सऊ
के निर्माण हेतु मधुवन जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

0-44-58 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्य को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा को इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-44-58 हैक्टयर वन भूमि को अऊ पेजल फेना कुमि सऊ

के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा भंगसू की सहमति दी जाती है।

स्थान भंगसू
दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा



हस्ताक्षर Rajendra Singh

दिनांक 2/10/15

सचिव / ग्राम सभा भंगसू दिनांक 2/10/15
ग्राम सभा भंगसू नारकण्डा जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश - 172031

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा 12/8

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 1-8-2018

वन अधिकार समिति ग्राम सभा 12/8 की बैठक आज दिनांक 1-8-2018

को 12/8 वजे स्थान 12/8 में श्री/श्रीमति 12/8

की अध्यक्षता में की गई जिसमें 12/8 गांव के अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 12/8

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 12/8 विभाग द्वारा 12/8 के

निर्माण के लिए 12/8 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे प्राप्त

हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत

हस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों

का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा

1. 12/8

2. 12/8

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. 12/8

2. 12/8

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

12/8 जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान 12/8

दिनांक 1-8-2018

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

पंचायत

12/8

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शानथाला
प्रतिलिपि प्रस्तावदिनांक 26/8/15प्रस्ताव संख्या 11

ग्राम सभा शानथाला की बैठक आज दिनांक 26/8/15 को शानथाला की अध्यक्षता में
 बजे स्थान शानथाला में श्री/श्रीमति श्रीमती गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
 की गई जिसमें बेनी के अन्तर्गत बेनी (Bani) जंगल/वन
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के निर्माण के लिए 0.23-46 हेक्टेयर वन
 क्षेत्र में (जिसमें 12 PH विभाग द्वारा Aug 2 के निर्माण के लिए 0.23-46 हेक्टेयर वन
 भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
 दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्योरा

- 1.
- 2.

शानथाला

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
 उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

* पात्र ग्राम वासी का नाम

क0स0

- 1.
- 2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बेनी जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

स्थान

दिनांक

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



SECY
 GRAM PANCHAYAT SHANATHALA
 DEV. BLOCK NARKANDA, SHANATHALA, H.P.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....शमथला
विकास खण्ड.....नारकण्डा जिला.....हिमाचल (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 2-10-15

गणपूति 135 / 618

प्रस्ताव संख्या 7

विषय: Imp cum Public Health विभाग/संस्था को Ausa Integration of Public Health
MAHARAJA, K/SHR. DEPT. के निर्माण हेतु Banat
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2-28-46 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शमथला की बैठक आज दिनांक 2-10-15 को 10 बजे स्थान पंचायत नारकण्डा शमथला में
की गई जिसमें 1 PM विभाग/संस्था को पंचायत नारकण्डा शमथला में
हैक्टयर वन भूमि के निर्माण हेतु वन क्षेत्र जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
2-28-46 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से
यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी
प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2-28-46 हैक्टयर वन भूमि को पंचायत नारकण्डा शमथला
MAHARAJA, K/SHR. DEPT. के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा शमथला की
सहमति दी जाती है।

स्थान शमथला
दिनांक 2-10-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा



हस्ताक्षर [Signature]
दिनांक

SECY
GRAM PANCHAYAT SHAMATHALA
DEV. BLOCK NARKANDA, SHIMLA, H.P.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा के पक्ष

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक 31-7-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा के पक्ष की बैठक आज दिनांक 31-7-2015 को 11-00 बजे स्थान के पक्ष में श्री/श्रीमति राजेश चंद्रा की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत के पक्ष जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें विभाग द्वारा नियुक्त की गई वन भूमि का उपयोग निर्माण के लिए 2.50 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान के पक्ष

दिनांक 31-7-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष

ग्राम सभा के पक्ष

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा...
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26/8/15

प्रस्ताव संख्या...

ग्राम सभा... की बैठक आज दिनांक... की अध्यक्षता में
बजे, स्थान... में श्री/श्रीमति... गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
की गई जिसमें... के अन्तर्गत... जंगल/वन
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत... के निर्माण के लिए...
क्षेत्र में (जिसमें... विभाग द्वारा... के निर्माण के लिए...
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

- 1.
- 2.

* पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौरा

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

- 1.
- 2.

* पात्र ग्राम वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार... या... जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा...

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

* * प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

GRAM PANCHAYAT SHARDA
DEV. BLOCK NARAYAN



हस्ताक्षर...
दिनांक...

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....शमाथला
विकास खण्ड.....नारकण्डा जिला.....शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....2-10-15

गणपति.....135 / 618

प्रस्ताव संख्या.....9

विषय: Eng. cum Public Health विभाग/संस्था को Anger Integrated के कं. प्र. 25
Malham, K. 25, 25, 25 के निर्माण हेतु Kand
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-07-55 हैबटेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....शमाथला की बैठक 'आज' दिनांक.....
2-10-15 को.....10 बजे, स्थान.....शमाथला, नारकण्डा, शिमला में
की गई, जिसमें.....1 P.H. विभाग/संस्था को प्रस्तावित जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....
के निर्माण हेतु.....कं. प्र. 25 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....
0-07-55 हैबटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित.....0-07-55 हैबटेयर वन भूमि को प्रस्तावित निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा.....शमाथला की सहमति दी जाती है।

स्थान.....शमाथला
दिनांक.....2-10-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....



SECY
GRAM PANCHAYAT SHAMATHALA
DEV. BLOCK NARKANDA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा 21/7/11

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 30-07-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा 21/7/11 की बैठक आज दिनांक 31-07-2015

को 11:00 बजे स्थान 21/7/11 में श्री/श्रीमति 21/7/11

की अध्यक्षता में की गई जिसमें 21/7/11 गांव के अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 21/7/11

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 21/7/11 विभाग द्वारा 21/7/11

निर्माण के लिए 21/7/11 हैक्टियर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त

हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत

प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों

का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. 21/7/11

2. 21/7/11

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी

सिफारिश करती है। 21/7/11

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. 21/7/11

2. 21/7/11

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश

करती है।

या

21/7/11 जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान 21/7/11 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 21/7/11

दिनांक 21/7/11 ग्राम सभा 21/7/11

21/7/11 21/7/11

21/7/11 21/7/11

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शिमथल
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26/8/15

प्रस्ताव संख्या 11

ग्राम सभा शिमथल की बैठक आज दिनांक 26/8/15 को शिमथल में श्री/श्रीमति शिमथल गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत शिमथल जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें शिमथल विभाग द्वारा शिमथल के निर्माण के लिए 20-37 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौरा

1. शिमथल
2. शिमथल
तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।
या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार शिमथल जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान शिमथल

दिनांक 26/8/15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



हस्ताक्षर

दिनांक

GRAM PANCHAYAT SHIMTHAL
DEV. BLOCK MARIYAT

SECY

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....श्रीमामला
विकास खण्ड.....नारकण्डा.....जिला.....शिमला.....(हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 2-10-15

गणपति 135 / 6/8

प्रस्ताव संख्या 6

विषय: Intg cum Public Health विभाग/संस्था को Aug 2015 4.11.15
माथामला के निर्माण हेतु Shamla
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-20-37 हैबटेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....श्रीमामला.....की बैठक आज दिनांक
2-10-15 को 10 बजे, स्थान माथामला नौमाला श्रीमामला में
की गई, जिसमें P.H. विभाग/संस्था को पेय जल योजना गलमला पेय योजना
के निर्माण हेतु श्रीमामला जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0-20-37 हैबटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-20-37 हैबटेयर वन भूमि को पेय जल योजना गलमला पेय योजना के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा श्रीमामला की सहमति दी जाती है।

स्थान.....श्रीमामला
दिनांक.....2-10-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा श्रीमामला



GRAM PANCHAYAT SHAMLA
DEV. BLOCK NARKANDA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा... 4/8/17

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 31-7-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा... 4/8/17

की बैठक आज दिनांक 31-7-2015

को... 11:30 बजे, स्थान... 4/8/17

में श्री/श्रीमति गांधी लाल सिंह

को अध्यक्षता में की गई जिसमें... 4/8/17

गांव के अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत... 4/8/17

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें विभाग द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में वन अधिकारों के दावे प्राप्त हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा

1. 2. 3.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम

1. 2. 3.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

4/8/17 जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान 4/8/17

दिनांक 31-7-2015

सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम सभा

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

प्रमाणित
वन अधिकार समिति
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शिवथल
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26/8/15

प्रस्ताव संख्या 11

ग्राम सभा शिवथल की बैठक आज दिनांक 26/8/15 को शिवथल की अध्यक्षता में
बजे, स्थान शिवथल में श्री/श्रीमति शिवथल गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
की गई जिसमें शिवथल वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत शिवथल जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें शिवथल विभाग द्वारा शिवथल के निर्माण के लिए शिवथल हैक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हैं। इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यापार
1.	शिवथल सिंह	अच्युत	
2.	वेदप्रकाश	सुचिव	VedPrakash

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	शिवथल सिंह अच्युत
2.	वेदप्रकाश सुचिव

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करती है।
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवथल जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान शिवथल
दिनांक 26/8/15

अभीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

हस्ताक्षर शिवथल
दिनांक 26/8/15

GRAM PANCHAYAT SHIVATHAL
DEV. BLOCK NARKANDA, SHIVTHAL
26/8/15

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....शुभायल
विकास खण्ड.....नरकण्डा जिला.....शुभायल (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....2-10-15

गणपति.....135 / 818

प्रस्ताव संख्या.....5

विषय: Integration cum Public Health विभाग/संस्था को Augmentation of Forest
Ma (GMS, JS) के निर्माण हेतु Chohan
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-03-33 हैबटेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....शुभायल की बैठक आज दिनांक
2-10-15 को 10 बजे, स्थान पंचायत कार्यालय, शुभायल में
की गई, जिसमें 1 P.H. विभाग/संस्था को पंचायत कार्यालय, शुभायल
के निर्माण हेतु Chohan जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0-03-33 हैबटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-03-33 हैबटेयर वन भूमि को पंचायत कार्यालय, शुभायल में कुम्हारों के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा.....शुभायल की सहमति दी जाती है।

स्थान.....शुभायल
दिनांक.....2-10-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा.....



हस्ताक्षर.....[Signature]
दिनांक.....

GRAM PANCHAYAT SHUBHAYAL
DEV. BLOCK NARAYAN
2/10/15

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा चरडी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 31-7-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा चरडी की बैठक आज दिनांक 31-7-2015 को 11:30 बजे, स्थान चरडी में श्री/श्रीमति ए.एस.एस.एस.एस. की अध्यक्षता में की गई जिसमें चरडी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत चरडी जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें चरडी विभाग द्वारा चरडी निर्माण के लिए चरडी हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

चरडी जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चरडी

दिनांक 31-7-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता चरडी ग्राम सभा चरडी

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शुभम
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26/8/15

प्रस्ताव संख्या 11

ग्राम सभा शुभम की बैठक आज दिनांक 26/8/15 को शुभम की अध्यक्षता में
बजे, स्थान शुभम में श्री/श्रीमती शुभम गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
की गई जिसमें शुभम के अन्तर्गत शुभम जंगल/वन
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत शुभम के निर्माण के लिए शुभम हैक्टर वन
क्षेत्र में (जिसमें शुभम विभाग द्वारा शुभम के निर्माण के लिए शुभम हैक्टर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. शुभम
2. शुभम
तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उम खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. शुभम
2. शुभम
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है। या शुभम जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार शुभम जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान शुभम
दिनांक 26/8/15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा शुभम

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

शुभम SECY
GRAM PANCHAYAT SHUBHAM
DEV. BLOCK NARAYAN



हस्ताक्षर शुभम
दिनांक 26/8/15

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....शिमगाँव
विकास खण्ड.....नारसोडा जिला.....शिमगाँव (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....2-10-15

गणपति.....135 / 618

प्रस्ताव संख्या.....11

विषय: Integrating Public Health विभाग/संस्था को Integrating Public Health
Malware, K/89m, 30/10/15 के निर्माण हेतु Charola रु. 5000/-
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1-61-76 हैबटेयर वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शिमगाँव की बैठक आज दिनांक
2-10-2015 को 10 बजे, स्थान पंचायत न्यायस्थान, शिमगाँव में
की गई, जिसमें 1-PH विभाग/संस्था को पंचायत न्यायस्थान, शिमगाँव में
प्रस्ताव के निर्माण हेतु रु. 5000/- जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
1-61-76 हैबटेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1-61-76 हैबटेयर वन भूमि को पंचायत न्यायस्थान, शिमगाँव में निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा शिमगाँव की सहमति दी जाती है।

स्थान.....शिमगाँव
दिनांक.....2-10-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....



हस्ताक्षर.....
दिनांक.....

GRAM PANCHAYAT SHIMGAON
DETA BLOCK

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा... ०६/११/१५

प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 30-07-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा... ०६/११/१५ की बैठक आज दिनांक 30-07-2015 को 130 वजे, स्थान ०६/११/१५ में श्री/श्रीमति... ०६/११/१५ की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ०६/११/१५ जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें विभाग द्वारा 30.07.2015 को निर्माण के लिए 2.26 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :- 1, 62, 53, 32, 74

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. 2. 2-3

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम

1. 2. 2-3

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

०६/११/१५ जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ०६/११/१५ ०६/११/१५
दिनांक 30-07-2015 ०६/११/१५

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

०६/११/१५

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा श्रीमन्मथपुरी
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26/8/15

प्रस्ताव संख्या 11

ग्राम सभा श्रीमन्मथपुरी की बैठक आज दिनांक 26/8/15 को
बजे, स्थान श्रीमन्मथपुरी में श्री/श्रीमति सुमन कौर की अध्यक्षता में
की गई जिसमें श्रीमन्मथपुरी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत श्रीमन्मथपुरी जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें श्रीमन्मथपुरी विभाग द्वारा श्रीमन्मथपुरी के निर्माण के लिए 26/8/15 हैक्टयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :- 26/8/15 जंगल का नाम श्रीमन्मथपुरी
* पात्र ग्राम वासी का नाम क0स0 वन अधिकार का ब्यौरा

1. श्री-21
2. तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उच्च खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

* पात्र ग्राम वासी का नाम क0स0

1. तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।
2. तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है। या श्रीमन्मथपुरी जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमन्मथपुरी जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान

दिनांक

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

हस्ताक्षर

दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा



GRAM PANCHAYAT
26/8/15

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....श्रीमती
विकास खण्ड.....सादर.....जिला.....शिमला.....(हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....2/10/15

गणपति.....135 / 618

प्रस्ताव संख्या.....10

विषय: प्रस्तावित मौजमा गत्याग निम्न आवासीय विभाग/संस्था को
के निर्माण हेतु
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-06-36 हैक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....श्रीमती की बैठक आज दिनांक.....2-10-15 को.....10 बजे, स्थान.....पंचायत कमालीम शिमला में
की गई जिसमें.....2 PM विभाग/संस्था को.....-
के निर्माण हेतु.....नहीं जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....0-06-36
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित.....0-06-36 हैक्टेयर वन भूमि को.....प्रस्तावित
निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा..... की
सहमति दी जाती है।

स्थान.....श्रीमती
दिनांक.....2-10-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....



हस्ताक्षर.....
दिनांक.....

SEC
GRAM PANCHAYAT SHIMLA
DEV. BLOCK
2/10/15

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... दत्तनगर
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या... 10

दिनांक 16-08-2015

ग्राम सभा... दत्तनगर की बैठक आज दिनांक 16/08/2015 को 11:30 बजे, स्थान ग्राम दत्तनगर में श्री/श्रीमति रामेश कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें ग्राम पंचायत दत्तनगर गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 1PM विभाग द्वारा 3813 * क्षेत्र में जंगल क्षेत्र) के निर्माण के लिए 0-42-90 डेक्टेयर भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्योरा
1.	<u>शून्य</u>		
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों का पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	<u>शून्य</u>
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार दत्तनगर जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान ग्रा.पं. दत्तनगर

दिनांक 16/08/2015

ग्राम

ग्राम पंचायत दत्तनगर

वि० ख० रामपुर जि० शिमला हि० प्र०

अधीकृत वन अधिकारी

ग्राम दत्तनगर पंचायत दत्तनगर

विकास खण्ड रामपुर

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (अवकाश) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग को अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम समिति.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

वन अधिकार समिति ग्राम समिति..... की बैठक आज दिनांक.....

को..... में श्री/श्रीमति.....

को अध्यक्षता में की गई जिसमें..... गांव के अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें..... विभाग द्वारा.....

निर्माण के लिए..... हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त

हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत

प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति समिति द्वारा निम्न लिखित पात्रों

का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
---------	--------------------------	-------------	---------------------

1.			
----	--	--	--

2.			
----	--	--	--

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम समिति से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र गांव वासी का नाम
---------	--------------------------

1.	
----	--

2.	
----	--

तदनुसार ग्राम समिति इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान..... अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रधान

दिनांक..... ग्राम समिति.....

वन अधिकार समिति द्वारा.....

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....दत्तनगर
विकास खण्ड.....रामपुर जिला.....शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....17/08/2015

गणपूर्ति.....171 / 439

प्रस्ताव संख्या.....10

विषय: उठाऊ पेय जल योजना कुरफा खण्ड से
ठियोग मलियाना जिला शिमला विभाग/संस्था को.....1 PM
के निर्माण हेतु.....दत्तनगर
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....70-42-90 हैक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....दत्तनगर की बैठक आज दिनांक.....16/08/15
को.....11 बजे, स्थान.....ग्राम पंचायत दत्तनगर
की गई जिसमें.....1 PM विभाग/संस्था को.....उठाऊ पेय जल योजना कुरफा खण्ड से
के निर्माण हेतु.....दत्तनगर जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....
70-42-90 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सन्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सन्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित.....70-42-90 हैक्टेयर वन भूमि को.....उठाऊ पेय जल योजना निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा.....दत्तनगर की सहमति दी जाती है।

स्थान.....शिमला दत्तनगर
दिनांक.....17/08/2015

स्थान.....ग्राम पंचायत दत्तनगर
वि0 ख0 रामपुर जि0 शिमला हि0प्र0

अधीनस्थ सहायक
ग्राम पंचायत दत्तनगर
विकास खण्ड रामपुर
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा हिवाली

प्रतिलिपि प्रस्ताव

हिवाली

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 29.9.2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा हिवाली की बैठक आज दिनांक 29.9.2015 को हिवाली-1130 बजे, स्थान हिवाली में श्री/श्रीमति पुष्पा कश्यप की अध्यक्षता में की गई जिसमें हिवाली गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत हिवाली जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 14 PM विभाग द्वारा Shree V. K. Murawss Mahanay, Sainy के निर्माण के लिए 0.08-97 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 1 पात्र गांव वासी का नाम R. Chauhan जंगल का नाम अध्यक्ष वन अधिकार का व्यौरा अध्यक्ष
1. राजेंद्र सिंह
2. सत्यपाल
तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 2 पात्र गांव वासी का नाम R. Chauhan
1. राजेंद्र सिंह
2. सत्यपाल
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

हिवाली जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान हिवाली
दिनांक 29-9-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

- * ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा देवगढ़ (सिवाली)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26/8/15

प्रस्ताव संख्या 11

ग्राम सभा देवगढ़ (सिवाली) की बैठक आज दिनांक 26/8/15 को देवगढ़ (सिवाली) की अध्यक्षता में
बजे, स्थान देवगढ़ (सिवाली) में श्री/श्रीमति देवगढ़ (सिवाली) गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
की गई जिसमें देवगढ़ (सिवाली) के अन्तर्गत देवगढ़ (सिवाली) जंगल/वन
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत देवगढ़ (सिवाली) के निर्माण के लिए देवगढ़ (सिवाली) वन
क्षेत्र में (जिसमें देवगढ़ (सिवाली) विभाग द्वारा देवगढ़ (सिवाली) के निर्माण के लिए देवगढ़ (सिवाली) वन
भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ग्राहक

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।
या देवगढ़ (सिवाली) जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार देवगढ़ (सिवाली) जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान

दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।



हस्ताक्षर

दिनांक

GRAM PANCHAYAT SUMMIT
DEV. BLOCK

७. सूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम समा. शिमथला
विकास खण्ड नरकपुर जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 2-10-15

मार्गपुति 135, C18

प्रस्ताव संख्या ४

विषय: Irrigation cum Public Health विभाग/पन्था को Aug-2 Integrations of Water
Demand, Kharif, Javan के निर्माण हेतु Revival
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-08-77 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शामाथला की बैठक 'आज' दिनांक 2-10-15 को 10 बजे, स्थान पंचायत नमालूम शामाथला में की गई, जिसमें 1 P.H. विभाग/संस्था को पंच जल योजना फांमका क्षेत्र जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित रिवामी 000-08-97 हैबटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित... 0-08-97 हैक्टयर वन भूमि को... निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा... की सहमति दी जाती है।

स्थान: अमितालग
दिनांक: १०-१०-१५

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
प्राप्त होता है।

SECY

GRAM PANCHAYAT SHAMATHI
DEV. BLOCK NARKANDA

हस्ताक्षर
दिनांक